भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *11

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

पीएम जन धन योजना के उद्देश्य

*11. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस योजना से वंचित समुदायों के वित्तीय समावेशन को किस प्रकार बढ़ावा मिलता है तथा इस योजना के आरंभ के उपरांत महाराष्ट्र राज्य में इसके अंतर्गत खोले गए खातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमजेडीवाई के तहत कार्यरत खातों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यरत खातों में लगातार गिरावट आ रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) महिलाओं के पीएमजेडीवाई खातों का प्रतिशत क्या है और इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान मिला है;

(ड.) वंचित समुदायों में पीएमजेडीवाई के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान अथवा आउटरीच प्रयास क्या हैं; और

(च) पीएमजेडीवाई को और अधिक सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"पीएम जन धन योजना के उद्देश्य" के संबंध में प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *11 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) का शुभारंभ किया था। पीएमजेडीवाई के मार्गदर्शी सिद्धांतों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, अरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करना, गैर वित्तपोषितों का वित्तपोषण करना और असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना शामिल है।

सरकार की वित्तीय समावेशन संबंधी पहल को बढ़ावा देने के लिए, पीएमजेडीवाई को दिनांक 14.8.2018 से आगे बढ़ाया गया था, जिसमें "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना को उपरि संशोधन के साथ और अधिक आकर्षक बनाया गया था:

(i) ओडी सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया और
(ii) रुपे कार्डधारकों के दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया।

पीएमजेडीवाई देश भर में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सफल रहा है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक: 30-10-2024 तक कुल 53.92 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के आरम्भ से लेकर अब तक महाराष्ट्र राज्य में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कुल 3.60 करोड़ खाते खोले गए हैं।

(ख) और (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बचत और चालू खाते को निष्क्रिय/डॉर्मेंट माना जाना चाहिए, यदि खाते में दो साल से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन नहीं होता है। बैंक लगातार सक्रिय खातों के प्रतिशत की निगरानी करने के लिए ठोस प्रयास करते हैं और सरकार द्वारा उक्त प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।इसके परिणामस्वरूप, सक्रिय पीएमजेडीवाई खातों का प्रतिशत 60.38% (मार्च 2017) से बढ़कर 79.13% (अक्टूबर 2024) हो गया है।

(घ) और (ड.): देश भर में खोले गए कुल जनधन खातों में से 55.7% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं द्वारा खोले गए कुल खातों में से लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जो यह दर्शाता है कि मुख्य रूप से इन क्षेत्रों की महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और वित्तीय मुख्यधारा का हिस्सा बन गई हैं। बैंक नियमित अंतराल पर जागरूकता शिविर भी आयोजित करते हैं, जिसकी शुरुआत जमीनी स्तर से होती है, ताकि खाते को सक्रिय/परिचालित रखने के लाभों सहित स्वस्थ बैंकिंग व्यवहार विकसित किए जा सके।

(च): सरकार सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/ व्यवसाय प्रतिनिधि/भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) शाखा) की उपलब्धता की निरंतर निगरानी कर रही है। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 6,01,328 मैप किए गए बसे हुए गांवों में से 99.88% गांवों को 1.76 लाख शाखाओं, 12.63 लाख बीसी और 1.65 लाख आईपीपीबी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट से कवर किया गया है।

इसके अलावा, शाखा प्राधिकार नीति के युक्तिकरण पर आरबीआई के दिनांक 18.5.2017 के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना देश में किसी भी स्थान पर बैंकिंग आउटलेट खोलने की अनुमति दी गई है। यह इसके अध्यधीन है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए कुल बैंकिंग आउटलेट्स की कम से कम 25 प्रतिशत संख्या बैंकिंग रहित ग्रामीण केंद्रों अर्थात ऐसे केंद्र जिनकी आबादी 10,000 से कम हो (टियर 5 और टियर 6 केंद्र) में स्थापित हों।

*****